strength of Judges, rationalisation of court fee, tagging of idential matters, setting up of Lok Adalats and mobile courts, filling up of vacancies expeditiously, improvement of service conditions of judges at all levels, providing of standard patterns of court buildings and setting up of Training Institute for judicial officers.

पूर्वी उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों की स्थापना

661. **डा० रत्नाकर पाण्डेय :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले पांच वर्षों के अन्दर पूर्वी उत्तर प्रदेश में वृहत और मध्यम श्रेणी के कितने उद्योगों की स्थापना का लक्ष्य है ; और

(ख) इन उद्योगों से कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की सम्भावना है ; और

(ग) किन-किन स्थानों में इन उद्योगों की स्थापना करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) (क) से (ग) बड़े उद्योगों के स्थापना स्थल का आधार तकनीकी आर्थिक तथ्य होते हैं और किसी भी एक क्षेत्र में ऐसे उद्योगों की स्थापनार्थ लक्ष्य विनिर्दिष्ट नहीं किये जाते । जहां तक लघु उद्योगों की स्थापना का प्रश्न है, इसका उत्तरदायित्व प्राथमिक रूप से राज्य सरकार पर है । निस्संदेह अपने-अपने राज्यों में विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में बड़े और लघु उद्योगों की स्थापना हेतु राज्य सरकारें बढावा देने का प्रयास करती हैं। केन्द्र सरकार केन्द्रीय प्रोत्साहन रियायतें, तथा राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने वाले उद्यमियों को लाइसेंस देने के मामले में प्राथमिकता देकर राज्य सरकार के उक्त प्रयासों में सहायता पहुंचाती है ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में बड़े और मझौले उद्योगों की स्थापना के लिये 39963 लाख रुपये तथा ग्रामीण और लघु उद्योगों की स्थापनार्थ 17150 लाख रुपये के परिव्यय पर सहमति हो गई है । इस परिव्यय में राज्य के पूर्वी क्षेत्र में भी उद्योगों की स्थापना हेतु किया गया प्रावधान सम्मिलित है ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापनार्थ 1985 और 1986 (जनवरी—सितम्बर) के दौरान दिये गये आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या नीचे दर्शायी गयी है :—

	1985	1986 (जनवरी सितम्बर)
आशय पत्र	19	8
औद्योगिक लाइसेंस	11	6

स्थापना स्थल और विनिर्माण की वस्तु आदि सहित इन आशय पत्रों व औद्योगिक लाइसेंसों के स्थूल ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले "मंथली न्यूज लेटर" में नियमित रूप से छाये जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद् में पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

Transfer of Telex Operators in Coal India Limited

662. SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that policy of regarding transfer of the officials especially in the case of Telex Operators working in Coal India Limited, is not being followed;